	आदेश हो।
18-6-18	पक्षकारान आदिनाथ/अन /वकील/पार्टी/अनुपस्थित उभय/पक्ष/ [illegible] लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान से [illegible] की गई। वाजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित अदालत को वापस लौटाई जावे। दिनांक 17-8-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सुवलगढ़
20.8.18	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 16-10-18 को पेश हो।
23.8.18	आवेदक नं. 2 के वकील द्वारा प्रा० क० प्रस्तुत कर प्रा० क० को आगे नहीं चलाना चाहते तथा प्रा० क० वि० करना चाहने का निवेदन करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रा० क० में प्रा० क० को आगे नहीं चलाना चाहते तथा वि० करने का निवेदन विप० वाला वकील आवेदक द्वारा प्रा० क० वि० करने में सहमत होने पर आवेदकगण का प्रा० क० वापस विप० वाले पत्रावली फैसल हुआ होकर नम्बर के कम से तथा बाद तकमील कार्यवाही नस्ती दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.8.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सुवलगढ़

Scanned by CamScanner